

15.9.2025 ध्यापणी तपस की गई। वहील

वादी उपस्थित, विभाजन प्रस्ताव को  
तथाकाम विचार प्राप्त हुई। विचार अनुसार  
वादात्मक रूपों का आपसी सहमति के  
आधार पर विभाजन हो चुका है।  
जो कि उप तहकीलदार (शे.क.) बल्लोद  
के आदेश क्रमांक 79 19 दिनांक 24.5.2025  
अवलोकन से स्पष्ट है। फेकी बल्लोद में  
प्रकटा है अथ कोर्ट कार्यालयी अपेक्षित  
तर्कों है विभाजना वाली का वाड इली  
रुतर पर रगारिज कीदा जगत है।

ध्यापणी केवल रुतार होकर  
दाखिल दयातम हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा,

